न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 42/2020/दावा 136 एलआरएक्ट

लालचन्द जांगीड पुत्र मुन्नाराम जांगीड जाति जांगीड निवासी अमरपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

– वादी

ब ना म

राज्य सरकार जरियेः तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

–प्रतिवादी

दावा बाबत उदघोषणा व रिकॉर्ड संशोधन

उपस्थिति–

1. श्री आनन्द राड वकील वादी की ओर से।

नि र्ण य **दिनांक – 14.07.2021**

1 वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी के ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का मुण्डियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित् कृषि भूमि खसरा नम्बर 363 ता 365, 367 किता 4 कुल रकबा 5.43 है0, खाता संख्या 38 तथा भूमि ख.नं. 366 रकबा 0.03 है0, खाता संख्या 39 भूमि में 1/4 हक हिस्से का खातेदार काबिज काश्तकार है, उक्त भूमियों को वादी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज काश्तकार रहकर उपयोग कर रहा है, जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से प्रमाणित है। वादी का अन्य दस्तावेजो में नाम लालचन्द जांगीड पुत्र मुन्नाराम जांगिड है, उसके सभी दस्तावेजो यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी में नाम लालचन्द जांगीड पुत्र मुन्नाराम जांगीड दर्ज है, जबकि उपरोक्त वर्णित आराजियात में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से लालू पुत्र मुन्ना दर्ज आ रहा है, जो कि गलत है, वादी का सही नाम लालचन्द जांगीड पुत्र मुन्नाराम जांगिड उदघोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी व वादी के पिता का नाम राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से लालचन्द जांगीड पुत्र मुन्नाराम जांगीड के स्थान पर लालू पुत्र मुन्ना दर्ज हो गया जो गलत है, वादी का सही व वास्तविक नाम लालचन्द जांगिड पुत्र मुन्नाराम जांगिड है, जो सही व दुरूस्त किये जाने योग्य है। उक्त दुरूस्ती करवाने हेतु वादी तहसील कार्यालय दांतारामगढ में गया तो तहसीलदार ने उक्त संशोधन करने से मना कर दिया। तथा वादी का नाम आधार कार्ड के अनुसार जमाबन्दी में नही होने की वजह से वादी सरकारी सहायता व

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

योजनाओं को प्राप्त करने से वंचित रह रहा है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 363 ता 365, 367 किता 4 कुल रकबा 5.43 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 366 रकबा 0.03 है0 ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का मुण्डियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम लालू पुत्र मुन्ना के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम लालचन्द पुत्र मुन्नाराम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वादी ने स्वयं तथा अन्य सहखातेदार गोविन्द राम पुत्र मुन्नाराम ने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये तथा निवेदन किया कि वादी का सही नाम लालचन्द पुत्र मुन्नाराम किया जाना सादर प्रार्थनीय है। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम लालू पुत्र मुन्ना के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम लालचन्द पुत्र मुन्नाराम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। वादी व सहखातेदार द्वारा पेश साक्ष्य वादी के समर्थन में शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सहखातेदार के शपथ पत्र एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 363 ता 365, 367 किता 4 कुल रकबा 5.43 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 366 रकबा 0.03 है0 ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का मुण्डियावास तहसील द.तारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी का नाम लालू पुत्र मुन्ना के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम लालचन्द पुत्र मुन्नाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

लालचन्द बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 42 / दावा सन् 2021 निर्णय दिनांक. 14.07.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी श्री आनन्द राड़ मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा **भूमि खसरा नम्बर नम्बर 363 ता 365, 367 किता 4 कुल रकबा 5.43 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 366 रकबा 0.03 है0 ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का मुण्डियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादी का नाम लाला पुत्र मुन्ना के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर लालचन्द पुत्र मुन्नाराम संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.07.2021 को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

मोहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा ...	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी ...		
स्टाम्प वजह सबूत ...	—	—	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील ...	—	—	खर्चा गवाहान ...		
खर्चा गवाहान ...	—	—	फीस कमिश्नर ...		
फीस कमिश्नर ...	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा ...		
बाबत इजराय हुक्मनामा ...	—	—	मुतफर्रिक ...	0	00
मुतफर्रिक ...	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़